(TO BE PUBTISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-1 SECTION-I)

No. F.9-65/2006-U3(A) Pt. 1
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi-110001,
Dated 6th May, 2020

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as 'Deemed to be University'.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act,1956, the Central Government vide its Notification No.9-65/2006-U3(A) dated 12.06.2007, on the advice of UGC, had declared Maharishi Markandeshwar University, Mullana, Ambala, Haryana as an Institution Deemed to be University consisting of the following Institutions, subject to review after five years:

i. MM Engineering College, Mullana, Ambala;
ii. MM Institute of Computer Technology & Business Management (MCA), Mullana, Ambala;
iii. MM College of Dental Sciences & Research, Mullana, Ambala;
iv. MM Institute of Physiotherapy & Rehabilitation, Mullana, Ambala;
v. MM Institute of Computer Technology & Business Management (Hotel Management), Mullana, Ambala;
vi. MM Institute of Medical Sciences & Research, Mullana, Ambala;
vii. MM Institute of Management, Mullana, Ambala;
viii. MM College of Nursing, Mullana, Ambala;
ix. MM College of Pharmacy, Mullana, Ambala; and
x. MM Institute of Medical Sciences & Research Nursing College, Mullana, Ambala.

3. And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment/order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and will restrain Deemed to be Universities from using the word 'University'.

4. And whereas, as per direction of the Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Maharishi Markandeshwar University" to "Maharishi Markandeshwar" by deleting the word 'University' from its name vide its Notification No. 9-65/2006-U3(A) dated 11.01.2018 with the condition that Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. And further whereas, the functioning of Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala was reviewed by the UGC in the year 2018 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act,1956, the Central Government vide Notification No.9-65/2006-U3(A) dated 07.01.2019, on the advice of UGC, extended the deemed to be university status of Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala, Haryana from 12.06.2012

to 30.06.2020 subject to review and advise of UGC on extension of deemed to be University status beyond 30.06.2020 within the expiry period taking into consideration the compliance of the conditions of the Notification.

6. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala. The Committe , in its report, gave the **good** grade to Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala on acdemic performance of the Institution and recommended for the continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered and approved by the Commission in its 545th meeting (Item No.2.10) held on 19.12.2019.

7. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby extends the deemed to be university status to Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala, Haryana from 01.07.2020 onwards.

8. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala, Haryana.

K 6/5/20
(Kamini Chauhan Ratan)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23382698

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri, Delhi - 110064.

Copy forwarded to:-
1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi with the request to ensure the compliance of the conditions of the all the Notifications and the Rules/Regulations of UGC.
2. The Vice-Chancellor, Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala, Haryana.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
4. The Secretary, Medical Council of India (MCI), Pocket-L4., Sector-8, Dwarka Phase-1, New Delhi-110075.
5. The Secretary, Dental Council of India [DCI), Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi-1L0002.
6. The Secretary, Indian Nursing Council (INC), 8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre, Okhla Phasc-1, Pocket A, Okhla I, Okhla Industrial Area, Delhi.
7. The Principal Secretary to the Government of Haryana, Higher Education Department, Government of Haryana Secretariat, Chandigarh.
8. The Principal Secretary to the Government of Haryana, Medical Education Department, Chandigarh.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-110002.
11. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department,
12. Guard file/Notification file

(Sandeep Jain)
Under Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं. एफ.9-65/2006-यू.3(ए) भाग.1

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001

दिनांक : 06 मई, 2020

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को 'सम-विश्वविद्यालय' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है ।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 12.06.2007 की अधिसूचना सं. 9-65/2006-यू3(ए) द्वारा "महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना, अंबाला हरियाणा" को, जिसमें निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं, पांचवर्षो के बाद समीक्षा के अध्यधीन समविश्वविदयालय के रूप में घोषित किया था;

i. एम. एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, मुलाना, अंबाला,
ii. एम. एम. इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट (एमसीए), मुलाना, अंबाल,
iii. एम. एम. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, मुलाना, अंबाला,
iv. एम. एम. इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथैरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, मुलाना, अंबाला,
v. एम.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट (होटल मैनेजमेंट), मुलाना, अंबाला;
vi. एम. एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, मुलाना, अंबाला;
vii. एम. एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुलाना, अंबाला;
viii. एम. एम. कालेज ऑफ नर्सिंग, मुलाना, अंबाला;
ix. एम. एम. कालेज ऑफ फार्मेसी, मुलाना, अंबाला; और
x. एम. एम. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नर्सिंग कॉलेज, मुलाना,अंबाला।

3. और जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 में निर्णय/आदेश दिनांक 03.11.2017 दिया कि यूजीसी, यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन के लिए समुचित कदम उठाएगा और समविश्वविद्यालयों को 'विश्वविदयालय' शब्द का उपयोग करने से रोकेगा ।

4. और जबकि, केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और यूजीसी के परामर्श से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.01.2018 की अपनी अधिसूचना सं. 9-65/2006-यू3(ए) के तहत "महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय" के नाम से "विश्वविद्यालय' शब्द को हटाकर उसका नाम "महर्षि मार्कण्डेश्वर" इस शर्त के साथ परिवर्तित किया कि महर्षि मार्कण्डेश्वर, मुलाना, अम्बाला अपने नाम के बाद "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन आगे कोष्ठकों के भीतर "समविश्वविदयालय' प्रत्यय शब्द का उपयोग कर सकता है।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2018 में महर्षि मार्कण्डेश्वर, मुलाना, अंबाला की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 07.01.2019 की अधिसूचना संख्या 9-65/2006- यू3 (ए) के माध्यम से, अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन पर विचार करते हुए समाप्ति अवधि के भीतर, 30.06.2020 के बाद समविश्वविद्यालय का दर्जा देने का समय बढ़ाने पर, यूजीसी की समीक्षा और सलाह के अध्यधीन, महर्षि मार्कण्डेश्वर, मुलाना, अंबाला, हरियाणा के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को यूजीसी की सलाह पर 12.06.2012 से 30.06.2020 तक बढ़ा दिया था।

6. और जबकि, यूजीसी ने महर्षि मार्कण्डेश्वर, मुलाना, अंबाला के प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणाम की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया । समिति ने महर्षि मार्कण्डेश्वर, मुलाना, अंबाला को संस्थान के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर उत्तम ग्रेड दिया और उनको दिए गए समविश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने की सिफ़ारिश की। आयोग ने दिनांक 19.12.2019 को आयोजित अपनी 545वीं बैठक (मद संख्या 2.10) में यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित कर दिया था।

7. अत: अब, केंद्र सरकार,एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर महर्षि मार्कण्डेश्वर, मुलाना, अंबाला को दिए गए सम विश्वविद्यालय दर्जे को 01.07.2020 से आगे बढ़ाती है।

8. महर्षि मार्कडेश्वर, मुलाना, अंबाला, हरियाणा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों दवारा समय समय पर जारी नियमों/विनियमों का अनुपालन करता रहेगा।

(कामिनी चौहान रतन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23382698

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी, दिल्ली-110064

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वेयूजीसी की सभी अधिसूचनाओं और नियमों/विनियमों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. कुलपति, महर्षि मार्कण्डेश्वर, मुलाना-अंबाला, हरियाणा।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
4. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), पाकेट-एल 4, सेक्टर-8, द्वारका फेज-I, नई दिल्ली-110075
5. सचिव, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई), ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेंपल लेन, नई दिल्ली-110021
6. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी), 8वीं मंजिल, एनबीसीसी सेंटर, प्लॉट सं 2, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेज-1, पाकेट ए, ओखला 1, ओखला इंडिस्ट्रयल एरिया, दिल्ली।
7. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार सचिवालय, चंडीगढ़ ।
8. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चंडीगढ़।
9. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली 110002
11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली। अनुरोध किया जाता है कि सीएमआईएस एकक को इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने का निदेश दें।
12. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल

(संदीप जैन)
अवर सचिव,भारत सरकार